अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं0 09 आर० 15/2022–23

11
22.06.2023

हरेन्द्र नाथ सिंह मुण्डा पिता स्व० मोहर सिंह मुण्डा, निवासी ग्राम सोनाहातु, थाना एवं पोस्ट सोनाहातु, जिला रॉची ....प्रार्थी

बनाम

संतोष कुमार जायसवाल पिता महादेव भगत, निवासी पुराना सुखदेवनगर, थाना पण्डरा, जिला रॉची .... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 63/2020–21 मे दिनांक 03.03.2022 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया है, जिसके अन्तर्गत उन्होने प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद के उत्तरवादी संतोष कुमार जायसवाल द्वारा दायर अपील को स्वीकृत करते हुए अँचल अधिकार सोनाहातु को उत्तरवादी संतोष कुमार जायसवाल के पक्ष मे मौजा सारमाली, थाना सोनाहातु, थाना सं० 57 के खाता सं० 120, प्लॉट सं० 125, रकबा 0.55 ए०, प्लॉट सं० 126, रकबा 0.62 ए०, प्लॉट सं० 127, रकबा 1.10 ए०, प्लॉट सं० 128, रकबा 0.18 ए० प्लॉट सं० 132, रकबा 0.48 ए०, प्लॉट सं० 142, रकबा 0.21 ए०, प्लॉट सं० 143, रकबा 0.08 ए०, प्लॉट सं० 144, रकबा 0.46 ए०, प्लॉट सं० 145/843, रकबा 0.15 ए० एवं प्लॉट सं० 129/844, रकबा 0.64 ए० भूमि के नामान्तरण को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा सारमाली, थाना सोनाहातु, थाना सं० 57, जिला रॉची के खाता सं० 120

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कुल रकबा 5.17 एकड़ भूमि प्रार्थी एव उनके सह–हिस्सेदारो की पैतृक सम्पत्ति है। उपरोक्त खाते की भूमि मौजा सारमाली के खेवट सं० –7/3 के अन्तर्गत दर्ज है, जो खेवट सं० 7/1 एवं 7/2 का सम्मिलात खेवट है। प्रार्थी उपरोक्त खेवटों के खेंवटदार के वंशज है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के पूर्वज काशीराम सिंह एवं दालगोविन्द सिंह एवं अन्य द्वारा देवनाथ भगत को दिनांक 15.03.1928 द्वारा भुगुतबंधक मे मात्र 7 वर्षो के लिए संवत् 1985 से 1991 तक के लिए दिया था, जो वर्ष 1930 को हुए सर्वे के दौरान प्रकाशित खतियान मे अंकित है। उपरोक्त सात वर्षो की अवधी गुजरने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के पूर्वज को वापस मिला तथा वे उक्त भूमि पर दखलाकर हुए तथा उनके मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि प्रार्थी एवं उनके सह हिस्सेदार के दखल कब्जे मे आयी।

उपरोक्त देवनाथ भगत के उत्तराधिकारी सुशील कुमार भगत एवं अन्य ने घोखाधड़ी कर उपरोक्त मुण्डारी भुमि उत्तरवादी के पक्ष मे निबंधित पट्टा सं० 687 दिनांक 20.12.2018 द्वारा हस्तांतरित कर दिया। सुशील कुमार भगत वैगरह को उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था।

उत्तरवादी का यह दावा एकदम गलत है कि है कि उनके विक्रेता के पूर्वज देवनाथ भगत प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1920 ई० मे दालगोविन्द सिंह वैगरह से प्राप्त किया था, अपितु उपरोक्त प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के पूर्वज काशीराम सिंह एवं दालगोविन्द सिंह एवं अन्य द्वारा देवनाथ भगत को दिनांक 15.03.1928 द्वारा भुगुतबंधक मे मात्र 7 वर्षो के लिए संवत् 1985 से 1991 तक के लिए दिया था। वर्ष 1920 ई० मे मुण्डा जनजाति सदस्य की भुमि गैर जनजाति सदस्य को हस्तांतरित नही हो सकती थी।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियान मे देवनाथ भगत वल्द रघुनाथ भगत के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि देवनाथ भगत ने दलगोविन्द सिंह वगैरह से निबंधित पट्टा दिनांक 22.06.1920 द्वारा प्राप्त किया है। भूमि क्रय के पश्चात देवनाथ भगत वगैरह दखल में आये, तदनुसार खतियान मे उपरोक्त भूमि देवनाथ भगत के नाम से दर्ज हुआ। उपरोक्त देवनाथ भगत के वंशज के द्वारा प्रश्नगत भूमि को निबंधित केवाला सं०–687 दिनांक 20.12.2018 द्वारा उत्तरवादी के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया। उत्तरवादी अपने उपरोक्त खरीदगी भूमि पर दखलकार है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी का दावा उनके प्रश्नगत भूमि के स्वत्वाधिकारी एवं हित के घोषणा से संबंधित है। प्रार्थी यह साबित करने मे विफल रहे है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उनके नाम से कायम है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त दा० खा० अपील वाद सं० 63/2020–21 मे दायर हस्तक्षेप आवेदन (Intervention application) दिनांक 03.10.2020 को दखल कब्जा एवं पूर्व मे जमाबंदी कायम नही होने के आधार पर दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया था।

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 63/2020–21 मे दिनांक 03.03.2022 को पारित अंतिम आदेश के अन्तर्गत दायर किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील वाद मे दायर हस्तक्षेप आवेदन (Intervention application) को दिनांक 21.10.2021 को ही खारिज कर दिया गया था, अतः उन्हे प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर करने का कोई लोकस स्टैन्डाई नही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

दावा प्रश्नगत भूमि के हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सरांश कार्यवाही (summary proceeding) नही किया जा सकता है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 63/2020–21 मे दिनांक 21.10.2021 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि की घोषणा सक्षम न्यायालय से कराने हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:51:58 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d